

न्यायालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालाघाट (म0प्र0)

—:: ज्ञापन ::—

क्रमांक—110/2025

दिनांक 20.02.2025

प्रति,

समस्त,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
जिला मुख्यालय बालाघाट एवं तहसील  
मुख्यालय वारासिवनी, बैहर, कटंगी, लांजी,  
जिला बालाघाट (म0प्र0)।

**विषय:—** दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2025 के संबंध में।

**संदर्भ:—** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट के कार्यालयीन  
ज्ञापन क्रमांक—332/एक—10—5/85, बालाघाट दिनांक 14 एवं 18.  
02.2025 के परिप्रेक्ष्य में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दाण्डिक मूल कार्य—विभाजन पत्रक वर्ष 2025 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक—332/एक—10—5/85, बालाघाट दिनांक 14 एवं 18.02.2025 के माध्यम से अनुमोदन पश्चात् प्राप्त हुआ।

अतः मूल कार्य—विभाजन पत्रक वर्ष 2025 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात् प्राप्त होने के उपरांत ई—मेल एवं व्हाट्स—अप के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है जो **दिनांक 20.02.2025 से प्रभावशील माना जावेगा।**

**संलग्न :-**दाण्डिक कार्य विभाजन  
पत्रक वर्ष 2025

  
(मनीष कुमार सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बालाघाट(म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)

--: ज्ञापन ::--

क्रमांक- 332 / एक-10-5 / 85,

बालाघाट, दिनांक 14.02.2025  
18

प्रति,

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,  
बालाघाट

**विषय :-** दांडिक कार्य विभाजन पत्रक 2025 के अनुमोदन के संबंध में।

**संदर्भ :-** आपका ज्ञापन क्रमांक-90 / 2025, दिनांक 10.02.2025.

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत यथा आदेश निवेदन है कि आपराधिक प्रकरणों के संबंध में कार्य विभाजन पत्रक 2025 की एक प्रति माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश, महोदय बालाघाट के अनुमोदन पश्चात् संलग्न प्रेषित है।

**संलग्न :-** दांडिक कार्य विभाजन पत्रक 2025।

  
रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट  
बालाघाट

**न्यायालय:- मनीष कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट,**  
**(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 व 13 के अंतर्गत आपराधिक कार्य विभाजन)**

**आदेश वर्ष – 2025**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन बालाघाट जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य निर्वहन हेतु पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन आदेशों को निरस्त करते हुए निम्न कार्य विभाजन आदेश प्रसारित किया जाता है, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरान्त, अनुमोदन तिथि से प्रभावशील होगा :-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन	रिमार्क
1	2	3	4	5
01	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट।	<p><b>आरक्षी केन्द्र कोतवाली बालाघाट, भरवेली तथा यातायात।</b></p> <p><b>आबकारी वृत्त बालाघाट</b></p> <p><b>सम्पूर्ण जिला बालाघाट</b></p>	<p align="center">-----A-----</p> <p>1-आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं भरवेली के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. के द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों एवं थाना भरवेली की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय आपराधिक एवं अन्य प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद।</p> <p>2-आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं भरवेली की सीमा क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3-आबकारी वृत्त बालाघाट द्वारा की गई कार्यवाहियों से उत्पन्न आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4-यातायात थाना बालाघाट द्वारा प्रस्तुत होने वाले समस्त परिवाद।</p> <p>5-आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं भरवेली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6-आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं भरवेली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7-माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p> <p align="center">-----B-----</p> <p>1-मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952.</p> <p>2-औषधि (नियंत्रण) अधिनियम 1950.</p> <p>3-पासपोर्ट अधिनियम 1967.</p> <p>4-बालक श्रम(प्रतिषेध और विनियमन)अधि0 1986.</p> <p>5-म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधि0, 1958.</p> <p>6-भारतीय कारखाना अधिनियम 1948.</p> <p>7-खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम एवं नियम की धारा 59,60,61,62,63 के प्रकरण।</p> <p>8-गव्हरमेंट रेल्वे पुलिस चौकी बालाघाट से उत्पन्न बालाघाट जिले के अभियोग पत्र (रेल्वे</p>	

		<b>नगर पालिका अधिनियम क्षेत्र, बालाघाट</b>	<p>मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>9-ऐसे अन्य सभी प्रकरण जो कि विशेष अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।</p> <p>10-जिला बालाघाट के क्षेत्रांतर्गत सम्पूर्ण आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत खारिजी प्रकरण।</p> <p>11-मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पालिका बालाघाट द्वारा प्रस्तुत आपराधिक मामले।</p>
02	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, न्या.मजि.प्र.श्रेणी बालाघाट।	<b>आरक्षी केन्द्र किरनापुर</b>	<p>1-आरक्षी केन्द्र किरनापुर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. के द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग 01, 02 एवं 03 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद।</p> <p>2-आरक्षी केन्द्र किरनापुर की सीमा क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3-आरक्षी केन्द्र किरनापुर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण</p> <p>4-आरक्षी केन्द्र किरनापुर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p>
03	श्री विकास विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालाघाट।	<b>आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव एवं हट्टा</b>	<p>1-आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव एवं हट्टा के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या. मजि.प्र.श्रे.द्वारा विचारणीय हो, को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद प्रकरण।</p> <p>2-आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव एवं हट्टा के ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की पहली अनुसूची के भाग-1, 2 व 3 में वर्णित समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो।</p> <p>3-आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव एवं हट्टा में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>4-वन परिक्षेत्र बालाघाट, वन परिक्षेत्र किरनापुर, वन परिक्षेत्र उत्तर/दक्षिण लामता (सामान्य), वन विकास निगम प्रोजेक्ट डिवीजन की सीमांतर्गत उत्पन्न वन विधि से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>5-जिला मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार में</p>

**वन विधि एवं खान-खनिज अधिनियम**

			<p>उदभुत खान खनिज अधिनियम एवं वन विधि के प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण।</p> <p>6-मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उदभुत होने वाले <b>आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955</b> से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7-आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव एवं हट्टा के क्षेत्राधिकार से उदभुत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8-आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव एवं हट्टा के क्षेत्राधिकार से उदभुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>9-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p>	
04	श्रीमती तारा मार्को न्या.मजि.प्र.श्रेणी बालाघाट	<b>आरक्षी केन्द्र</b>  <b>महिला थाना</b> <b>बालाघाट</b>  <b>एवं</b>  <b>महिला बोर्ड</b>	<p>1-आरक्षी केन्द्र <b>महिला थाना</b> के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद।</p> <p>2-जिला मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से महिलाओं के विरुद्ध उदभुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद जो न्या.मजि.प्र.श्रेणी द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग 01, 02 एवं 03 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर।</p> <p>3-आरक्षी केन्द्र <b>महिला थाना बालाघाट</b> में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>4-आरक्षी केन्द्र महिला थाना बालाघाट के क्षेत्राधिकार से उदभुत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5-आरक्षी केन्द्र महिला थाना बालाघाट के क्षेत्राधिकार से उदभुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p>	
05	श्री भुपेन्द्रसिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालाघाट।	<b>आरक्षी केन्द्र</b> <b>लामता</b>	<p>1-आरक्षी केन्द्र <b>लामता</b> के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र.श्रे.द्वारा विचारणीय हो तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग-1, 2 व 3 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)</b> समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, निजी परिवाद एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद।</p> <p>2-आरक्षी केन्द्र <b>लामता</b> में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>3-आरक्षी केन्द्र <b>भरवेली</b> की सीमा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले निजी परिवाद <b>(धारा 138 परकाम्य लिखत</b></p>	

			<p><b>अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर</b> पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. के प्रकरण।</p> <p>4-आरक्षी केन्द्र लामता के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5-आरक्षी केन्द्र लामता के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p>	
06	श्री अविनाश छारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालाघाट	<b>आरक्षी केन्द्र चांगोटोला</b>	<p>1-आरक्षी केन्द्र <b>चांगोटोला</b> के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले <b>(महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग-1, 2 व 3 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)</b> समस्त आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद।</p> <p>2-आरक्षी केन्द्र <b>चांगोटोला</b> में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>3-आरक्षी केन्द्र <b>कोतवाली बालाघाट</b> की सीमा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले निजी परिवाद <b>(धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)</b> पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. के प्रकरण।</p> <p>4-आरक्षी केन्द्र चांगोटोला के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5-आरक्षी केन्द्र चांगोटोला के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p>	
07	श्रीमती शिखा शर्मा, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बालाघाट।		1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	
08	श्रीमती शीनी जैन, न्या.मजि.प्र.श्रेणी बालाघाट		1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	
09	श्री शुभम जैन, न्या.मजि.प्र.श्रेणी बालाघाट		1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	
<b>--: तहसील न्यायालय वारासिवनी :-</b>				
01	श्री श्रीकृष्ण डागलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट		1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	

	प्रथम श्रेणी, वारासिवनी।	<b>वन विधि अधिनियम के प्रकरण.</b>  <b>खान-खनिज अधिनियम के प्रकरण.</b>	2-वन परिक्षेत्र <b>वारासिवनी, लालबर्ग, खैरलांजी एवं रामपायली</b> के अंतर्गत उत्पन्न वन-विधि से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद। 3-तहसील न्यायालय <b>वारासिवनी</b> के अंतर्गत आने वाले <b>समस्त आरक्षी केन्द्रों</b> से उद्भूत होने वाले खान-खनिज अधिनियम एवं वन-विधि से संबंधित समस्त प्रकरण एवं परिवाद।	
02	श्री शैलेन्द्र रैकवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वारासिवनी।	<b>आरक्षी केन्द्र लालबर्ग एवं रामपायली</b>	1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2-आरक्षी केन्द्र <b>लालबर्ग एवं रामपायली</b> (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रे. के द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि. 2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण। 3-आरक्षी केन्द्र <b>लालबर्ग एवं रामपायली</b> की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 4-आरक्षी केन्द्र <b>लालबर्ग एवं रामपायली</b> के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 5-आरक्षी केन्द्र <b>लालबर्ग एवं रामपायली</b> के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।	
03	श्री रौनक पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वारासिवनी।	<b>आरक्षी केन्द्र वारासिवनी</b>  <b>आबकारी वृत्त वारासिवनी</b>  <b>नगर पालिका अधिनियम क्षेत्र वारासिवनी</b>	1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2-आरक्षी केन्द्र <b>वारासिवनी</b> (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र. श्रे. के द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि.2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण। 3-आरक्षी केन्द्र <b>वारासिवनी एवं आबकारी वृत्त वारासिवनी</b> की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 4-आरक्षी केन्द्र <b>वारासिवनी</b> के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 5-आरक्षी केन्द्र <b>वारासिवनी</b> के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण। 6-तहसील <b>वारासिवनी</b> से उद्भूत <b>आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955</b> से संबंधित प्रकरण। 7-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के तहत नगरपालिका <b>वारासिवनी</b> द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।	

04	सुश्री नेहा बाथरी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, वारासिवनी।	<b>महिला बोर्ड एवं आरक्षी केन्द्र खैरलांजी</b>	<p>1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2-तहसील न्यायालय वारासिवनी की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण तथा धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. (धारा 144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं.2023) के अंतर्गत भरण-पोषण संबंधी प्रकरण।</p> <p>3-आरक्षी केन्द्र <b>खैरलांजी</b> की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण।</p> <p>4-आरक्षी केन्द्र <b>खैरलांजी</b> की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5-आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6-आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।</p>
05	श्री देवांश यादव, न्या0मजि0प्र0श्रेणी वारासिवनी	<b>आरक्षी केन्द्र</b>	<p>1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p>
<b>--: तहसील न्यायालय बैहर :-</b>			
01	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी न्या0मजि0प्र0 श्रेणी, बैहर।	<b>आरक्षी केन्द्र बैहर, मलाजखंड एवं बिरसा  आबकारी वृत्त बैहर (पूर्व एवं पश्चिम)</b>	<p>1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2-आरक्षी केन्द्र <b>बैहर, मलाजखंड एवं बिरसा (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि. 2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)</b> समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा धारा 138 निगो. इन्स्ट्रू एक्ट के परिवाद प्रकरण।</p> <p>3-आबकारी वृत्त <b>बैहर (पूर्व/पश्चिम)</b> एवं आरक्षी केन्द्र <b>बैहर, मलाजखंड एवं बिरसा</b> में दर्ज होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>4-आरक्षी केन्द्र बैहर, मलाजखंड एवं बिरसा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5-आरक्षी केन्द्र बैहर, मलाजखंड एवं बिरसा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के तहत नगर पंचायत बैहर तथा नगर पालिका मलाजखंड द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।</p>

		<p><b>नगर पालिका अधिनियम क्षेत्र वन विधि</b></p> <p><b>खान-खनिज क्षेत्र के प्रकरण</b></p>	<p>7-तहसील न्यायालय बैहर के अंतर्गत आने वाले समस्त वन परिक्षेत्र, कान्हा नेशनल पार्क कोर एरिया से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद।</p> <p>8-तहसील न्यायालय बैहर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले खान-खनिज अधिनियम एव वन विधि से संबंधित समस्त प्रकरण एवं परिवाद।</p> <p>9-तहसील क्षेत्र बैहर से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण।</p>	
02	सुश्री कीर्ति उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर।	<p><b>महिला बोर्ड.</b></p> <p><b>आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी</b></p>	<p>1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2-तहसील न्यायालय बैहर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले प्रकरण एवं परिवाद जो न्या. मजि.प्र.श्रे. के द्वारा विचारणीय हो तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण तथा धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. (धारा 144 लगायत 147 भा. ना.सु.सं.2023) के अंतर्गत भरण-पोषण संबंधी प्रकरण।</p> <p>3-आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी के सीमांतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 निगो.ईस्टू. एक्ट के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण।</p> <p>4-आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5-आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6-आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।</p>	
03	श्रीमती शिवानी असाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर।		<p>1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p>	
<b>--: तहसील न्यायालय कटंगी :-</b>				
01	सुश्री सुधा पाण्डे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटंगी।	<p><b>आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी</b></p> <p><b>महिला बोर्ड</b></p>	<p>1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2-तहसील कटंगी के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण तथा धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. (धारा 144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं.2023) के अंतर्गत भरण-पोषण संबंधी प्रकरण।</p> <p>3-आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक एवं खात्मा प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक</p>	

		<p>नगरपालिका अधिनियम क्षेत्र तिरोड़ी</p> <p>वन विधि एवं खान-खनिज अधिनियम क्षेत्र के प्रकरण</p>	<p>प्रकरण एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण।</p> <p>4-आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी में दर्ज होने वाले समस्त आबकारी अधिनियम के प्रकरण।</p> <p>5-आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6- आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम,1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7-म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पालिका/पंचायत तिरोड़ी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।</p> <p>8-तहसील न्यायालय कटंगी के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं वन-परिक्षेत्र से उद्भूत होने वाले खान-खनिज अधिनियम एवं वन विधि से संबंधित समस्त प्रकरण एवं परिवाद।</p> <p>9-तहसील क्षेत्र कटंगी से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण।</p>	
02	श्रीमती नेहा ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी।	<p>आरक्षी केन्द्र कटंगी</p> <p>आबकारी वृत्त कटंगी नगरपालिका अधिनियम क्षेत्र कटंगी</p>	<p>1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2-आरक्षी केन्द्र कटंगी की सीमांतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि.2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 निगो.इस्टू.एक्ट के परिवाद प्रकरण।</p> <p>3-आरक्षी केन्द्र कटंगी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4-आरक्षी केन्द्र कटंगी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5-आबकारी वृत्त कटंगी एवं आरक्षी केन्द्र कटंगी के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आबकारी अधिनियम के प्रकरण।</p> <p>6-मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पालिका/पंचायत कटंगी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।</p>	
<b>--: तहसील न्यायालय लांजी ::--</b>				
01	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लांजी।	<p>महिला बोर्ड</p> <p>आरक्षी केन्द्र लांजी एवं बहेला.</p>	<p>1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2-आरक्षी केन्द्र लांजी एवं बहेला के सीमांतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रकरण तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद तथा धारा 125 लगायत 128 द.</p>	


		<p><b>नगर पालिका अधिनियम</b></p> <p><b>आबकारी वृत्त लांजी</b></p> <p><b>वन विधि एवं खान-खनिज अधिनियम क्षेत्र के प्रकरण.</b></p>	<p>प्र.सं. (धारा 144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं.2023) के अंतर्गत भरण-पोषण संबंधी प्रकरण।</p> <p>3-आरक्षी केन्द्र लांजी एवं बहेला के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प-मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4-आरक्षी केन्द्र लांजी एवं बहेला के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5-मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पंचायत लांजी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।</p> <p>6-आबकारी वृत्त <b>लांजी</b> एवं आरक्षी केन्द्र <b>लांजी एवं बहेला</b> में दर्ज आबकारी अधिनियम के प्रकरण।</p> <p>7-तहसील लांजी के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र एवं आरक्षी केन्द्र से उद्भूत वन विधि एवं खान-खनिज अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद।</p> <p>7-तहसील क्षेत्र लांजी से उद्भूत होने वाले <b>आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955</b> से संबंधित प्रकरण।</p>
--	--	---	---

**नोट :-**

- (1)- जिला मुख्यालय बालाघाट में मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 से संबंधित आवेदन पत्र/प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे तथा तहसील मुख्यालयों में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र/प्रतिवेदन के संबंध में विधिनुसार कार्यवाही करेंगे।
- (2)- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकारिता में चलित न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं पूर्व सूचना उपरांत आयोजित करेंगे।
- (3)- स्थानांतरण की दशा में उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो उनके पूर्वाधिकारी को इस कार्य विभाजन पत्रक के आदेश से प्राप्त है।
- (4)- अवकाश, स्थानांतरण एवं अनुपस्थिति इत्यादि की दशा में आवश्यक दायित्व कार्य, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा आदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जायेंगे जिसकी सूचना सूची में संलग्न है, प्रभार कमशः रहेगा।
- (5)- आरक्षी केन्द्र के रिमाण्ड प्रपत्र जो लम्बित है, उन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में प्रेषित किया जावे।
- (6)- सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में आवश्यक दायित्व कार्य निष्पादित करने के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर पृथक से आदेश प्रसारित किए जायेंगे।
- (7)- आकस्मिक अवकाश की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
- (8)- धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत संस्वीकृतियाँ एवं कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर कमशः द्वितीय प्रभारी एवं फिर पश्चात्वर्ती प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।
- (9)- मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश दायित्व के नियम 680 के मुताबिक जिस न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के निराकरण के संबंध में आदेश पारित किया जाता है उस आदेश में स्पष्ट होना चाहिए कि सम्पत्ति किस व्यक्ति, किस संस्था या किस विभाग को वापस की जाना है उसका पूरा नाम, पता लिखे जिससे सम्पत्ति के निराकरण में असुविधा न हो।

- (10)– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय-दृष्टान्त सुंदरमाई अम्बालाल देसाई विरुद्ध गुजरात राज्य एस.एल.पी. 2745/2002 में पारित निर्णय दिनांक 01 अक्टूबर 2002 में दिए गए निर्देशों का पालन किया जावे। साथ ही उक्त न्याय-दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के मुताबिक मालखाना में जमा की जाने वाली सम्पत्ति जैसे लाठी, डण्डा, पत्थर, ईंट इत्यादि (सेशन ट्रायल मामलों की सम्पत्ति को छोड़कर) की फोटो खींचकर उसका आकार, प्रकार लम्बाई चौड़ाई अंकित कर उसका पंचनामा अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत करने हेतु अपने-अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को ज्ञापन भेजकर आदेश का पालन सुनिश्चित करावे।
- (11)– गिरफ्तारी पत्र में अभियुक्त का छायाचित्र लगाने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश जारी किए जावे जिससे न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियुक्त की पहचान में कोई समस्या उत्पन्न न हों एवं एक्सीडेण्ट के मामले में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का छायाचित्र उतरवाया जाकर उसका पंचनामा बनाया जावे और अभियोग पत्र के साथ उसे पेश कराया जावे जिससे साक्ष्य के दौरान वाहन की पहचान हो सके। आवश्यकतानुसार एक से अधिक फोटो भी लिए जा सकते हैं, परन्तु सभी को पंचनामा का स्वरूप दिया जावे।
- (12)– दिन-प्रतिदिन न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले न्यायालय शुल्क (टिकिट) एवं न्यायालय शुल्क स्टाम्प न्यायालय में पेश होने के पश्चात् उन्हें अविलम्ब विधिवत् निरस्त किया जावे जिससे उनका दुरुपयोग न हो सके।
- (13)– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 5 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी विशेष या स्थानीय विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारिता या शक्ति का प्रयोग किया जाना है तो उक्त विधि के प्रावधान लागू होंगे। ऐसी स्थिति में धारा 364 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 325 द.प्र.सं.) के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को केवल वे ही मामले भेजे जा सकते हैं जिसमें दण्ड संबंधी अधिकारिता न हो।
- (14)– पूर्व में रिक्त न्यायालय अथवा भविष्य में रिक्त होने वाली न्यायालय से संबंधित उत्पन्न होने वाले दाण्डिक कार्य जिला मुख्यालय बालाघाट में श्री अविनाश छारी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील मुख्यालय वारासिवनी में श्री रौनक पाटीदार, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील मुख्यालय बैहर में सुश्री कीर्ति उईके, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील मुख्यालय कटंगी में श्रीमती नेहा ठाकुर, न्या.मजि.प्र.श्रेणी एवं तहसील मुख्यालय लांजी में श्री धर्मेन्द्र नागवंशी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी द्वारा निष्पादित किया जावेगा।
- (15)– न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय के अवकाश पर होने अथवा उनके स्थानांतरण होने या पद रिक्त होने की स्थिति में उनका प्रभार जिला मुख्यालय पर उस समय पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर)** जो भी मुख्यालय पर उपस्थित हो, पर रहेगा जिसके द्वारा ग्राम न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य संपादित किया जावेगा।
- (16)– परिशिष्ट-(अ), परिशिष्ट-(ब), परिशिष्ट-(स) एवं परिशिष्ट (द) कार्य-विभाजन पत्रक के अंग रहेंगे।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित।

  
(श्री प्राणेश कुमार प्राण)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जिला बालाघाट (म0प्र0)

  
(मनीष कुमार सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला बालाघाट (म0प्र0)

## -: / / परिशिष्ट-अ / / :-

न्यायिक दण्डाधिकारीगण निम्नानुसार धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन संस्वीकृतियों तथा कथन अभिलिखित करेंगे।

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट	कार्य विभाजन
<b>-: जिला मुख्यालय बालाघाट :-</b>		
1	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा न्या०मजि०प्र०श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र कोतवाली बालाघाट से उत्पन्न (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
2	श्री विकास विश्वकर्मा न्या०मजि०प्र०श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र चांगोटोला से उत्पन्न (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
3	श्रीमती तारा मार्को न्या०मजि०प्र०श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र किरनापुर से उत्पन्न (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
4	श्री मुपेन्द्रसिंह न्या०मजि०प्र०श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव से उत्पन्न (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
5	श्री अविनाश छारी न्या०मजि०प्र०श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र भरवेली एवं अजाक (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
6	श्रीमती शिखा शर्मा न्या०मजि०प्र०श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र लांजी एवं बहेला से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
7	श्रीमती शीनी जैन न्या०मजि०प्र०श्रेणी, बालाघाट	जिला मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं महिला थाना से महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण।
8	श्री शुभम जैन न्या०मजि०प्र०श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र हट्टा एवं लामता से उत्पन्न (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
<b>-: तहसील मुख्यालय वारासिवनी :-</b>		
1	श्री श्रीकृष्ण डागलिया, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, वारासिवनी	तहसील वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
2	श्री शैलेन्द्र रैकवार, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र वारासिवनी से उत्पन्न होने वाले (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
3	श्री रौनक पाटीदार, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र खैरलांजी से उत्पन्न होने वाले (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
4	सुश्री नेहा बाथरी, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र रामपायली से उत्पन्न होने वाले (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
5	श्री देवांश यादव, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र लालबर्वा से उत्पन्न होने वाले (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।

-:: तहसील मुख्यालय कटंगी ::-		
1	<p><b>सुश्री सुधा पाण्डे</b> न्या०मजि०प्र०श्रेणी कटंगी</p>	आरक्षी केन्द्र कटंगी से (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
2	<p><b>श्रीमती नेहा ठाकुर</b> न्या०मजि०प्र०श्रेणी कटंगी</p>	आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी एवं तहसील कटंगी के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
-:: तहसील मुख्यालय बैहर ::-		
1	<p><b>श्री दयालसिंह सूर्यवंशी</b> न्या०मजि०प्र०श्रेणी, बैहर</p>	आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में तथा तहसील मुख्यालय बैहर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों में।
2	<p><b>सुश्री कीर्ति उईके</b> न्या०मजि०प्र०श्रेणी, बैहर</p>	आरक्षी केन्द्र बैहर, बिरसा एवं मलाजखंड से उत्पन्न (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
3	<p><b>श्रीमती शिवानी असाटी</b> न्या०मजि०प्र०श्रेणी, बैहर</p>	-

**नोट :-** उपरोक्तानुसार धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कथन लेखबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके अत्यावश्यक कार्य हेतु निर्धारित प्रभारी मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। यदि ऐसे प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश होता है तो क्रमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।

  
 (मनीष कुमार सिंह)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
 बालाघाट(म०प्र०)


## -: / / परिशिष्ट-ब / / :-

न्यायिक मजिस्ट्रेटगण निम्नानुसार कंडिका-1 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में आवश्यक दांडिक कार्य कंडिका-2 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा व कंडिका-2 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कंडिका-3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा कंडिका-3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कंडिका-4 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा आवश्यक दांडिक कार्य किया जावेगा।

क	कंडिका-एक	कंडिका-दो	कंडिका-तीन	कंडिका-चार	कंडिका-पांच	कंडिका-छः
<b>बालाघाट</b>						
1	श्री मनीष कुमार सिंह CJM.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्र सिंह JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्रीमती तारा मार्को JMFC.Balaghat
2	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्र सिंह JMFC.Balaghat	श्रीमती तारा मार्को JMFC.Balaghat	श्री मनीष कुमार सिंह CJM.Balaghat
3	श्री विकास विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी, JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्रसिंह, JMFC.Balaghat	श्रीमती शिखा शर्मा JMFC.Balaghat	श्रीमती तारा मार्को JMFC.Balaghat	श्री मनीष कुमार सिंह CJM.Balaghat
4	श्रीमती तारा मार्को JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्र सिंह, JMFC.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्री शुभम जैन JMFC.Balaghat
5	श्री भुपेन्द्र सिंह, JMFC.Balaghat	श्रीमती तारा मार्को JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्रीमती शिखा शर्मा JMFC.Balaghat
6	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्रसिंह, JMFC.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्रीमती शिखा शर्मा JMFC.Balaghat	श्रीमती तारा मार्को JMFC.Balaghat	श्रीमती शीनी जैन JMFC.Balaghat
7	श्रीमती शिखा शर्मा JMFC.Balaghat	श्रीमती शीनी जैन JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्रीमती तारा मार्को JMFC.Balaghat
8	श्रीमती शीनी जैन JMFC.Balaghat	श्रीमती शिखा शर्मा JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्री शुभम जैन JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्रसिंह JMFC.Balaghat
9	श्री शुभम जैन JMFC.Balaghat	श्रीमती शिखा शर्मा JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्रसिंह JMFC.Balaghat	श्रीमती तारा मार्को JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्री मनीष कुमार सिंह CJM.Balaghat
<b>वारासिवनी</b>						
1	श्री श्रीकृष्ण डागलिया JMFC.Waraseoni	श्री शैलेन्द्र रैकवार, JMFC.Waraseoni	श्री रौनक पाटीदार JMFC.Waraseoni	श्री देवांश यादव, JMFC.Waraseoni	सुश्री नेहा बाथरी, JMFC.Waraseoni	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat
2	श्री शैलेन्द्र रैकवार, JMFC.Waraseoni	श्री रौनक पाटीदार, JMFC.Waraseoni	सुश्री नेहा बाथरी, JMFC.Waraseoni	श्री श्रीकृष्ण डागलिया JMFC.Waraseoni	श्री देवांश यादव JMFC.Waraseoni	श्रीमती तारा मार्को JMFC.Balaghat
3	श्री रौनक पाटीदार, JMFC.Waraseoni	श्री श्रीकृष्ण डागलिया JMFC.Waraseoni	श्री शैलेन्द्र रैकवार JMFC.Waraseoni	श्री देवांश यादव JMFC.Waraseoni	श्रीमती नेहा बाथरी JMFC.Waraseoni	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC.Balaghat
4	सुश्री नेहा बाथरी JMFC.Waraseoni	श्री रौनक पाटीदार, JMFC.Waraseoni	श्री श्रीकृष्ण डागलिया JMFC.Waraseoni	श्री शैलेन्द्र रैकवार JMFC.Waraseoni	श्री देवांश यादव JMFC.Waraseoni	श्री विकास विश्वकर्मा JMFC.Balaghat

		JMFC.Waraseoni	JMFC.Waraseoni	JMFC.Waraseoni		JMFC.Balaghat
5	श्री देवांश यादव JMFC.Waraseoni	सुश्री नेहा बाथरी JMFC.Waraseoni	श्री रौनक पाटीदार JMFC.Waraseoni	श्री शैलेन्द्र रैकवार, JMFC.Waraseoni	श्री श्रीकृष्ण डागलिया JMFC.Waraseoni	श्री शुभम जैन JMFC.Balaghat
<b>बैहर</b>						
1	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, JMFC.Baihar.	सुश्री कीर्ति उईके JMFC.Baihar.	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्रीमती तारा मार्को, JMFC.Balaghat	श्री शुभम जैन JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्रसिंह JMFC.Balaghat
2	सुश्री कीर्ति उईके, JMFC.Baihar.	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, JMFC.Baihar.	श्री भुपेन्द्रसिंह, JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्रीमती शीनी जैन JMFC.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा JMFC.Balaghat
3	श्रीमती शिवानी असाटी, JMFC.Baihar.	-	-	&	-	-
<b>कटंगी</b>						
1	सुश्री सुधा पांडे JMFC Katangi	श्रीमती नेहा ठाकुर, JMFC Katangi	सुश्री नेहा बाथरी, JMFC.Waraseoni.	श्री रौनक पाटीदार, JMFC.Waraseoni	श्री शैलेन्द्र रैकवार, JMFC.Waraseoni	श्री श्रीकृष्ण डागलिया JMFC.Waraseoni
2	श्रीमती नेहा ठाकुर JMFC Katangi	सुश्री सुधा पांडे JMFC Katangi	श्री रौनक पाटीदार, JMFC.Waraseoni	श्री शैलेन्द्र रैकवार, JMFC.Waraseoni.	सुश्री नेहा बाथरी, JMFC.Waraseoni	श्री श्रीकृष्ण डागलिया JMFC.Waraseoni
<b>लांजी</b>						
1	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी JMFC Lanji.	श्री विकास विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी, JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्रसिंह, JMFC.Balaghat	सुश्री तारा मार्को, JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC.Balaghat

**नोट :-**(1) यदि परिस्थितिवश कंडिका-1 में वर्णित पीठासीन अधिकारी एवं उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य हेतु नियत पीठासीन अधिकारीगण अवकाश पर रहते हैं तो उक्त न्यायालय का समस्त आवश्यक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्यालय में तत्समय कार्यरत् वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

  
(मनीष कुमार सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बालाघाट(म०प्र०)

**-: // परिशिष्ट-स // :-**

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 की धारा 52क के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित नार्कोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोफिक सब्सटेन्स (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के दिनांक 23.12.2022 से प्रभावशील होने के कारण उक्त संबंध में धारा 52क एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नमूना की कार्यवाही के लिये नियम 8 के तहत न्यायिक दण्डाधिकारीगण निम्नानुसार धारा 52क एन0डी0पी0एस0 एक्ट के संबंध में निर्मित नवीन नियम के अंतर्गत नमूना कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।

क्र0	न्यायिक मजिस्ट्रेट	कार्य विभाजन
<b>-: जिला मुख्यालय बालाघाट :-</b>		
1	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र कोतवाली बालाघाट के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
2	श्री विकास विश्वकर्मा न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र भरवेली के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
3	श्रीमती तारा मार्को न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
4	श्री भुपेन्द्रसिंह न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र हट्टा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
5	श्री अविनाश छारी न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र लांजी एवं बहेला के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
6	श्रीमती शिखा शर्मा न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र लामता एवं महिला थाना बालाघाट के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
7	श्रीमती शीनी जैन न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र चांगोटोला के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
8	श्री शुभम जैन न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र किरनापुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
<b>-: तहसील मुख्यालय बैहर :-</b>		
1	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
2	सुश्री कीर्ति उइके न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र बिरसा, बैहर एवं मलाजखंड के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
3	श्रीमती शिवानी असाटी न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	-
<b>-: तहसील मुख्यालय वारासिवनी :-</b>		
1	श्री श्रीकृष्ण ढागलिया, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र लालबर्षा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
2	श्री शैलेन्द्र रैकवार, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
3	श्री रौनक पाटीदार, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र रामपायली के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
4	सुश्री नेहा बाथरी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र वारासिवनी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
5	श्री देवांश यादव, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, वारासिवनी	-

--: तहसील मुख्यालय कटंगी :-		
1	<b>सुश्री सुधा पाण्डे</b> न्या०मजि०प्र०श्रेणी कटंगी	आरक्षी केन्द्र <b>कटंगी</b> के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी. पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में।
2	<b>श्रीमती नेहा ठाकुर</b> न्या०मजि०प्र०श्रेणी कटंगी	आरक्षी केन्द्र <b>तिरोड़ी</b> के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी. पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में।

**नोट :-** उपरोक्तानुसार धारा 52क एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकृत मजिस्ट्रेट के लम्बे समय के अवकाश पर रहने की दशा में उक्त कार्यवाही अत्यावश्यक कार्य हेतु परिशिष्ट-ब में निर्धारित प्रभारी मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। यदि ऐसे प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कार्यवाही हेतु पेश होता है तो कमशः अगले प्रभारी कार्यवाही करेंगे।

  
(मनीष कुमार सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बालाघाट(म०प्र०)

**-: // परिशिष्ट-द // :-**

किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट के पीठासीन अधिकारी (प्रधान मजिस्ट्रेट) के किसी कारणवश अवकाश पर होने एवं तत्समय किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट के सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने या पद रिक्त होने की दशा में किशोर न्याय बोर्ड के आवश्यक कार्य के निष्पादन हेतु कंडिका-2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं उनकी अनुपस्थिति की दशा में कंडिका-3 के न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कंडिका-3 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति की दशा में कंडिका-4 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत करता हूं जो कार्य-विभाजन पत्रक 2025 के "परिशिष्ट-द" के रूप में निम्नानुसार होगा :-

क.	कंडिका-एक	कंडिका-दो	कंडिका-तीन	कंडिका-चार
1.	श्रीमती शिखा शर्मा, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी, बालाघाट	श्री भुपेन्द्रसिंह, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बालाघाट	श्री अविनाश छारी न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बालाघाट

नोट:- सार्वजनिक अवकाश के दिनांक में प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर होने एवं तत्समय किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट के सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने या पद रिक्त होने की दशा में रिमांड संबंधी कार्य संबंधित सार्वजनिक अवकाश दिनांक को रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

कार्य विभाजन पत्रक 2025 में किसी प्रकार के संशय अथवा असमंजस की स्थिति होने पर सांख्यिकीय अनुभाग अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पदस्थ शीघ्रलेखक से सम्पर्क किया जा सकता है।

  
(मनीष कुमार सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट  
जिला-बालाघाट

**प्रतिलिपि :-**

- 1- कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट,
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजारत अनुभाग, अभिषाषक संघ, थाना प्रभारी जिला मुख्यालय बालाघाट/तह0 वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी, को व्हाट्स-अप एवं ई-मेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कम्प्युटर अनुभाग, सर्वर ऑपरेटर बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी को व्हाट्स-अप/ई-मेल द्वारा उपरोक्तानुसार सूचित करने हेतु प्रेषित।

  
(मनीष कुमार सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बालाघाट(म0प्र0)